भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 18-3-1983

अधिसूचना

आयकर

सं0 5135 (फा0सं0 261/20/82-आ0क0न्या0) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में दिनांक 14-1-1982 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं0 4414 (फा0सं0 261/15/81-आ0क0न्या0) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, निदेश देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिन पर अधिकारिता आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों तथा जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे :—

अनुसूची

क्र0सं0	रेंज	आयकर परिमण्डल/वार्ड तथा जिले
(1)	(2)	(3)
1.	इलाहाबाद रेंज 'क', इलाहाबाद ।	i) (घ) और (ङ) वार्डों को छोड़कर, इलाहाबाद परिमण्डल ।
		ii) केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद ।
		iii) फतेहपुर ।
		iv) जौनपुर ।

(कु0पु0उ0)

क्रमांक (1)	(2)	(3)
2·	इलाहाबाद रेंज, 'ख', इलाहाबाद ।	i) एस0आई0सी0 इलाहाबाद क तथा ख वार्ड ।
		ii) (घ) तथा (ङ) वार्ड इलाहाबाद परिमण्डल ।
		iii) प्रतापगढ़ ।
		iv) सुल्तानपुर ।
		v) मिर्जापुर परिमण्डल क तथा ख वार्ड ।
		vi) रोबर्ट्सगंज ।
3·	वाराणसी रेंज 'क', वाराणसी ।	i) वाराणसी परिमण्डल के क, ख, ग वार्ड ।
		ii) केन्द्रीय परिमण्डल, वाराणसी ।
		iii) बलिया ।
4·	वाराणसी रेंज 'ख', वाराणसी ।	i) वाराणसी परिमण्डल के घ, ङ, च तथा छ वार्ड ।
		ii) गाजीपुर ।
		iii) मौनाथ भंजन ।
		iv) भदोही ।
5·	गोरखपुर रेंज।	i) क, ख, ग, घ तथा ङ वार्ड, गोरखपुर ।
		ii) केन्द्रीय परिमण्डल, गोरखपुर ।
		iii) देवरिया ।
		iv) बस्ती ।
		v) बहराइच ।
		vi) गोंडा ।
		vii) [redacted]क तथा ख वार्ड, फैजाबाद ।
		viii) आजमगढ़ ।

(कृ0पृ0उ0)

2. जहां कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड तथा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमण्डल, वार्ड तथा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त को अंतरित की जायेंगी, तथा उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो।

3. जहां सभी परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले, जिनका मुख्यालय किसी स्थान विशिष्ट पर है, एक अपीलीय सहायक आयुक्त के सुपुर्द किये गए हों वहां वह इन मुख्यालयों के परिमण्डलों, वार्डों तथा जिलों के संबंध में भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो अब समाप्त भी हो चुके हैं।

4. यह अधिसूचना 1-6-1983 से लागू होगी।

(के0एम0 सुलतान)
अवर सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
मयापुरी, नई दिल्ली।

18.3.1983

5135 (P.No. 261/2078 2 P.D.)